उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटैक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 वन्दनवाडी (प्रेमनगर) देहरादून।
दूरभाष :-0135–2770126 टेलीफैक्स 0135–2770124, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

2-011-12

वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 29.04.2011 का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय वित्त समिति की नवम् बैठक दिनांक 29.04.2011 (शुक्रवार) को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कार्यालय कक्ष, सुद्धोवाला, (देहरादून) में मा0 कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने प्रतिभाग किया:–

01–प्रो0 डी0एस0 चौहान, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	अध्यक्ष
02–प्रो0 एच0सी0 नैनवाल, प्रति कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य
03– श्री आर0सी0 शर्मा, संयुक्त सचिव (वित्त), प्रतिनिधि वित्त विभाग,	सदस्य
04– डॉ0 जी0एस0 रजवार, उप–निदेशक (उच्च शिक्षा) प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग,	सदस्य
05– श्री चन्द्र सिंह मेहता, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य
06– श्री प्रमोद कुमार जोशी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य सचिव

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार विनिश्चय (निर्णय) लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु 01–

दिनांक 16.11.2010 को सम्पन्न वित्त समिति की अष्टम बैठक की कार्यवाही एवं कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चयः–

वित्त समिति ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.11.10 की सम्पुष्टि की तथा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पॉलीटैक्निक परिसर सुद्धोवाला में आबंटित भवनों पर कृत पुर्नसुधार/मरम्मत कार्यो के शेष भुगतान से पूर्व उनकी एम0बी0/सत्यापन/प्रदत्त अग्रिम के सापेक्ष समायोजन लेखा/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की औपचारिकता पूर्ति अवश्य की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 02–

शासन द्वारा सुद्धोवाला में विश्वविद्यालय के परिसर हेतु आबटित भूमि 8.372 हेक्टेयर में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तथा अन्य निर्माण कार्यो की बाढ़ सुरक्षा हेतु शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत निर्माण कार्य रू0 130.81 लाख के स्थान पर सिंचाई विभाग से प्राप्त बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रांकलन रू0 159.34 लाख पर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

इस क्रम में शासन के पत्रांक 1403/xxiv (8)/2010–85/10 दिनांक 15.11.10 **(परिशिष्ट–'क')** के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई विभाग उ0ख0 से उ0प्र0रा0निनि0 के माध्यम से कार्य आरम्भ कराने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी जिस पर उनके विभागीय पत्र सं0 5543/लखवाड–1एफ0–1 बाढ़ दिनांक 08.10.10 **(परिशिष्ट–'ख')** अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर इसके स्थान पर बाढ़ सुरक्षा कार्य योजना/विस्तृत प्रांकलन रू0 159.34 लाख का गठित कर विश्वविद्यालय को भेजा गया है। तद्नुसार शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रांकलन के स्थान पर सिंचाई विभाग से प्राप्त प्रांकलन रू0 159.34 लाख शासन की प्रशासनिक स्वीकृति हेंतु पत्राकं 8191/स0ले0/बाढ़ सुरक्षा कार्य–12/10–11 दिनांक 17.03.11 **(परिशिष्ट–'ग')** द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तावित कार्य पर व्यय विश्वविद्यालय के संसाधनों से वहन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

इस प्रकरण पर गहन विचार विमर्श के बाद वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार प्रस्तावित कार्य योजना रू0 159.34 लाख की शासन को प्रेषित प्रांकलन पर टी0ए0सी0 से परीक्षण उपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति पर ही योजना पर सिंचाई विभाग के माध्यम से कार्य आरम्भ कराकर आगामी बरसात से पूर्व ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में शासन के पत्रांक 1403/XXIV(8)/2010-85/10 दिनांक 15.11.10 द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रांकलन रू0 रू0 130.81 लाख के निरस्तीकरण की संस्तुति करते हुये वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी है कि इसका अनुमोदन शासन से भी प्राप्त किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 03–

सुद्धोवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पर कार्यदायी संस्था द्वारा 31.03.11 तक के लिए मांगे गये अतिरिक्त अग्रिम रू0 5.00 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2010–11 हेतु पूर्व स्वीकृत बजट के क्रम पूरक बजट धनराशि रू0 250.00 लाख का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की विगत बैठक में पारित आय–व्ययक अनुमान वित्त वर्ष 2010–11 की मद सं0 16–विकास मदों में व्यय (10–भवनों का निर्माण) मद में रू0 15.00 करोड (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) व्यय अनुमानित/वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था किन्तु निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन हेतु निर्धारित बार चार्ट के सापेक्ष अधिक प्रगति तथा समझौता ज्ञापन की संगत शर्तों एवं भवन की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा कार्यदायी संस्था से अग्रेत्तर अग्रिम रू0 5.00 करोड की मांग के सापेक्ष मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2010–11 हेतु रू0 2.50 करोड अग्रेत्तर अग्रिम कार्यदायी संस्था को प्रदत्त किये जाने हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में चैक सं0 995484 व सं0 000451 दिनांक 25.02.11 धनराशि रू0 2.50 करोड (टी.डी.एस सहित) भुगतान किया जा चुका है। तद्नुसार वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित बजट रू0 15.00 करोड के स्थान पर रू0 17.50 करोड़ का प्राविधान पुनरीक्षित आय व्ययक विवरण **(परिशिष्ट–'घ')** मे प्रस्तुत है। तद्नुसार प्रारम्भ से अबतक इस परियोजना पर रू0 19.50 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत प्रांकलन रू0 2220.52 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को प्रदत्त की जा चुकी है। अतः उक्त वर्णित मद में अनुपूरक धनराशि रू0 2.50 करोड कार्यदायी संस्था को प्रदत्त किये जाने की कार्येत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

विगत वित्त वर्ष 2010–11 हेतु वित्त समिति द्वारा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन के निमित अनुमोदित परिव्यय रू0 15.00 करोड़ के स्थान पर कार्यहित/सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति के दृष्टिगत कृत वास्तविक व्यय रू0 17.50 करोड़ पर कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदत्त की गयी। उक्त के साथ साथ वित्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जबतक उक्त प्रशासनिक भवन के पुनरीक्षित प्रांकलन पर शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती तबतक उक्त वर्णित निर्माणाधीन भवन पर अग्रेत्तर अग्रिम अथवा भुगतान पूर्व स्वीकृत सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त समिति द्वारा इस कम में यह भी अपेक्षित है कि योजना पर प्रारम्भ से अध्यावधिक प्रदत्त अग्रिम के सापेक्ष कार्यदायी संस्था से समायोजन लेखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र/रिकार्ड एवं रनिंग एम0बी0 के साथ साथ योजना का सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा स्वीकृत विस्तृत प्रांकलन तथा समझौता ज्ञापन की शर्तों की पूर्ति के साथ साथ संगत वित्तीय नियमों में अपेक्षित अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 04–

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 16.11.10 में लिए गये निर्णय के कम में अनुमोदित 87 पदों के ढांचे के स्थान पर 6 अतिरिक्त वाहन चालकों सहित कुल 99 पदों का पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के स्टॉफिंग पैटर्न के संकलित प्रस्ताव में अधिकारियों/कर्मचारियों सहित 87 पदों का ढांचा तैयार/प्रस्तुत किया गया था जिसमें वाहन चालकों के कुल दो पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव सम्मिलित था किन्तु विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में उपलब्ध कुल 7 वाहनों को चलाने हेतु प्रत्येक वाहन के लिए एक वाहन चालक की दर कुल 7 वाहन चालको के पद आगणित होते है तथा मा0 कुलपति महोदय को कार्यालय समय के अलावा अवकाश के समय में भी एक अतिरिक्त वाहन चालक की उनके निवास पर अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशिष्ट कार्यो के दृष्टिगत अपरिहार्य आवश्यकता समय समय होती रहती है। इस प्रकार विश्वविद्यालय को वर्तमान में उपलब्ध वाहनों की संख्या के आधार पर कुल 8 वाहन चालकों के पद सृजित किया जाना अपरिहार्य है। तद्नुसार वाहन चालकों के वित्त समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित दो पद के अतिरिक्त 6 पदों की स्वीकृति आवश्यक है।

उक्त के साथ साथ पूर्व प्रस्तावित ढाचें में आंशिक संशोधन करते हुये Faculty of Engineering के स्थान पर Faculty of Engineering & Pharmacy स्थापित की गयी है। तद्नुसार प्रो0, एसोसिएट प्रो0, एवं असिस्टैंट प्रो0 के एक एक पदो के स्थान पर क्रमशः 5,5,5 पदों का ढ़ांचा प्रस्तावित है। इसी प्रकार Faculty of Management & Allied Sciences के पदों में भी आंशिक संशोधन आवश्यकता के अनुरूप अपरिहार्य स्थिति में किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार दोनो संकायों में पूर्व प्रस्तावित और अब पुनरीक्षित पदों सहित कतिपय अन्य पदों में आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि एवं कमी की जानी भी प्रस्तावित है। यह सम्पूर्ण विवरण (संलग्न परिशिष्ट सं0 4) पर अंकित है। इसी परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करने के निमित परिशिष्ट सं0 1, 2, 3 एवं 5 भी अवलोकन हेतु संलग्न है। तद्नुसार विश्वविद्यालय को पूर्व अनुमोदित 87 पदों के स्थान पर कुल 99 पदों के पुनरीक्षित ढांचें की वर्तमान में आवश्यकता है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः—

विश्वविद्यालय हेतु 87 अतिरिक्त पदो के ढांचे को वित्त समिति द्वारा दिनांक 16.11.10 की बैठक में अनुमोदित कर लिया गया था जिसमें 87 के स्थान पर कुल 99 पदों के पुनरीक्षित ढांचे की आवश्यकता पर भी सहमति बनी थी। इसी क्रम में वित्त समिति द्वारा पूर्व अनुमोदित 87 पदों के ढांचे के स्थान पर कुल 99 पदों का संलग्न प्रस्तावित/पुनरीक्षित ढांचा वित्त समिति द्वारा गहन अध्ययन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त यथावत अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु 05—

सुद्धोवाला में आबंटित भूमि पर प्रस्तावित एकेडमिक ब्लॉक के प्रारम्भिक आगणन रू0 4743.78 लाख पर वित्तीय वर्ष 2011—12 में निर्माण कार्य आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 16.11.10 में निर्णित किया गया था कि विश्वविद्यालय के पास बजट की कमी के कारण एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2011—12 में किया जायेगा। चूंकि निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है जिस पर प्रारम्भ से अब तक शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति 2220.52 लाख के सापेक्ष 1950.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रदत्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था से प्राप्त तत्सम्बन्धी प्रारम्भिक आगणन रू0 4743.78 लाख

... पर तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु शासन को पत्रांक 3931/स0ले0–13/एकेडमिक ... निर्माण/10–11 दिनांक 08.09.10 द्वारा पूर्व ही प्रेषित किया जा चुका है एवं एकेडमिक ब्लॉक की विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2011–12 में शासन से प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त कार्य, बजट की उपलब्धता के आधार पर, आरम्भ कराने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

इस क्रम में वित्त समिति द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के संसाधनों से अथवा अन्य संसाधन से एकेडमिक भवन का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आरम्भ कराने हेतु पृथक से न्यूनतम 5.00 करोड़ की अतिरिक्त निधि की उपलब्धता के आधार पर एवं शासन से प्रांकलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति पर योजना कार्य आरम्भ कराया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 06–

पॉलीटैक्निक परिसर सुद्धोवाला में स्थित नलकूप के अनुरक्षण सम्बन्धी बिल की धनराशि रू0 45,795.00 विश्वविद्यालय बजट से वहन किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटैक्निक, सुद्धोवाला, (देहरादून) के पत्रांक 1076/स्टोर/10–11 दिनांक 09.03.11 के साथ बिल सं0 1144 दिनांक 14.02.11 **(परिशिष्ट–'च')** बाबत पॉलीटैक्निक परिसर में स्थापित पेयजल नलकूप में माह फरवरी, 11 में उत्पन्न बृहत खराबी (submersible pump with motor 5-HP-3 phase with accessories & lowering lifting with installation) को प्रतिस्थापित करने सम्बन्धी सामग्री श्रमांश सहित) का देयक कुल धनराशि रू0 45,795.00 का प्राप्त है। इस नलकूप से विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साथ समय समय पर यू0टी0यू0 में आ रहे छात्रों/जनता द्वारा भी पेयजल का उपयोग इस परिसर में शिफ्टिंग की तिथि से ही निरन्तर प्रयोग किया जा रहा है। तद्नुसार उक्त नलकूप लम्बी अवधि तक खराब रहने पर तथा पॉलीटैक्निक के पास बजट उपलब्ध न होने पर उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य की मा0 कुलपति महोदय के साथ हुई वार्ता/सहमति अनुसार उक्त वर्णित देयक का भुगतान विश्वविद्यालय बजट से किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

वित्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचार करते हुये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय हेतु पॉलीटैक्निक परिसर सुद्धोवाला में पृथक से पेयजल व्यवस्था न होने पर एवं जनहित की इस आधारभूत आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव में वर्णित नलकूप अनुरक्षण देयक सं0 1144 दिनांक 14.02.11 धनराशि रू0. 45795.00 का देय भुगतान तकनीकी परीक्षण/संगत नियमों की औपचारिकता पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 07–

वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय की एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओ हेतु निर्धारित विभिन्न शुल्कों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदनानुसार कुलसचिव यू0टी0यू0 के कार्यालय आदेश सं0 6968/एम0बी0बी0एस0/2011 दिनांक 19.01.11 **(परिशिष्ट–'छ')** द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नामांकन/पंजीकरण/परीक्षा/क्रीडा/विकास एवं छात्र कल्याण शुल्क का निर्धारण किया गया है। जो चालू वित्तीय वर्ष में भी यथावत लागू रखा जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

इस क्रम में एम0बी0बी0एस0 परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 6968 / एम0बी0बी0एस0 / 2011 दिनांक 19.01.11 द्वारा प्रस्तावित नांमाकन / पंजीकरण / परीक्षा / क्रीडा / विकास एवं छात्र कल्याण शुल्क की दरें 2010–11 के साथ 2011–12 हेतु यथावत अनुमोदित की गयी।

एजेण्डा बिन्दु 08–

वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मदवार निर्धारित शुल्कों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदनानुसार एवं वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कुलसचिव यू0टी0यू0 के कार्यालय आदेश सं0 6965 / परीक्षा शुल्क / 2011 दिनांक 19.01.11 **(परिशिष्ट–'ज')** द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे पाठ्यकमो (स्नातक / परास्नातक पाठ्यकम) का नामांकन / पंजीकरण / परीक्षा / क्रीडा शुल्को का निर्धारण वर्ष 2010–11 हेतु किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी यथावत लागू रखा जाना प्रस्तावित है । अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय के व्यवसायिक पाठ्क्रमों हेतु कुलसचिव यू0टी0यू0 के पत्रांक 6965 / परीक्षा शुल्क / 2011 दिनांक 19.01.11 द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संचालित स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रमों के नामांकन / पंजीकरण / परीक्षा / क्रीडा की प्रस्तावित दरें वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए यथावत अनुमोदित की गयी जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी यथावत लागू रहेगी।

एजेण्डा बिन्दु 09–

मा0 कुलपति महोदय, द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो के प्रयोग हेतु निमार्ता कम्पनी (मारूती सुजूकी) से आगामी वित्त वर्ष 2011–12 में टॉप मॉडल वाहन एस0एक्स0फोर0 (जैड0डी0आई0) अनुमानित मूल्य रू0 908316.00 (नौ लाख आठ हजार तीन सौ सोलह मात्र) का कय प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो हेतु प्रारम्भ से ही अपने निजी वाहन का प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय की ओर से मा0 कुलपति के पद की गरिमा के अनुरूप विश्वविद्यालय कार्यो के प्रयोजन से मारूती सुजूकी कम्पनी द्वारा निर्मित टॉप मॉडल वाहन एस0एक्स0फोर0 (जैड0डी0आई0) अनुमानित मूल्य रू0 9,08,316.00 (नौ लाख आठ हजार तीन सौ सोलह मात्र) **(परिशिष्ट–'झ')** क्रय किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

इस क्रम में वित्त समिति द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कियाकलापों के दृष्टिगत एवं मा0 कुलपति महोदय के पद की गरिमा के अनुरूप वाहन आवश्यकता होने पर प्रस्तावित टॉप मॉडल वाहन एस0एक्स0फोर0 (जैड0डी0आई0) अनुमानित मूल्य रू0 9,08,316.00 (नौ लाख आठ हजार तीन सौ सोलह मात्र) का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, में विहित नियमानुसार प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

ण्डा बिन्दु 10–

वित्तीय वर्ष 2010–2011 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ।

एजेण्डा बिन्दु सं0 3 (प्रशासनिक भवन निर्माण) तथा कतिपय अन्य मानक मदों में वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.11.10 में वित्तीय वर्ष 2010–2011 हेतु अनुमोदित बजट के सापेक्ष अपरिहार्य स्थिति में/जनहित के दृष्टिगत वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुमोदित अनुमान से अधिक व्यय की धनराशि के फलस्वरूप पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 10–11 का **(परिशिष्ट–घ')** पर प्रस्तुत है। तद्नुसार अनुमोदित परिव्यय रू0 28.08 करोड़ के सापेक्ष 4.68 करोड़ व्यय पक्ष में आधिक्य है एवं अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष 2.02 करोड़ की बचत व्यय पक्ष के सापेक्ष है। अतः कृपया अधिक व्यय की गयी धनराशि 4.68 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुमोदित परिव्यय रू0 28.08 करोड़ के सापेक्ष 4.68 करोड अधिक व्यय की गयी धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 11–

वित्तीय वर्ष 2011–12 का आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ।

वित्तीय विर्ष 2011–12 का आय व्ययक अनुमान विगत वर्ष की भांति विहित प्रारूपों पर मुख्य लेखा शीर्षक/उपशीर्षक वार एवं नियमानुसार विस्तृत रूप से तैयार कर **(परिशिष्ट–'ञ)** पर पृथक से अवस्थित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमानित आय (अन्य विभागीय भर्ती परीक्षा सहित) रू0 35.77 करोड़ एवं 2011–12 का अनुमानित व्यय (अन्य विभागीय भर्ती परीक्षा सहित) रू0 30.02 करोड़ का गहन अध्ययन/विचार विमर्श उपरान्त वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। वित्त समिति द्वारा यह भी निर्णित किया गया कि प्रत्येक मद में व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 12– **अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित विषय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गयेः–

बिन्दु सं0 –1

शासनादेश सं0 875/XXVII (7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 अनुसार वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

उक्त वर्णित शासनादेश दिनाक 08 मार्च 2011 विश्वविद्यालय अथवा स्ववित्तपोषित संस्थाओं हेतु न तो सम्बोधित है और न पृष्ठांकित। शासन ने विश्वविद्यालय हेतु एक पद वैयक्तिक सहायक ग्रेड II वेतन बैंड रू0 9300–34800 में स्वीकृत है जो वर्तमान में रिक्त है। विश्वविद्यालय हेतु 2 पद आशुलिपिक ग्रेड II वेतन बैंड रू0 5200–20200 के स्वीकृत है एवं दोनों पद वर्तमान में भरे हुये है। उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 08.03.2011 के अन्तिम प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर पदों का विभाजन प्रस्तावित है तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों पर भी उक्त शासनादेश के प्राविधान लागू किया जाना प्रस्तावित है।

निश्चयः–

वित्त समिति द्वारा इस क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 आशुलिपिकों को भी उक्त शासनादेश दिनांक 08.03.11 का लाभ सन्दर्भित शासनादेश सं0 110/XXVII (7)/2006 दिनांक 29 जून 2006 में निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुये अनुमन्य कराया जायेगा।

बिन्दु सं0 2–

विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण कोष का गठन ।

इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 8 नियमित लिपिकीय के साथ साथ आउटसोर्स से कार्यरत लिपिक/वाहन चालक/अनुसेवक/गार्ड एवं सफाई कर्मचारी भी कार्यरत 61 है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पृथक से कोई कल्याण कोष अभी तक गठित नही है। ऐसी स्थिति में कल्याण कोष के गठन का प्रस्ताव प्रस्तावित है।

विनिश्चयः–

वित्त समिति द्वारा विचार विमर्श किये जाने पर कर्मचारी कल्याण कोष गठन पर सहमति बनी है। वित्त समिति द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि अन्य विश्वविद्यालयों में गठित कर्मचारी कल्याण कोष की रूप रेखा तथा संगत शासनादेशों/नियमों सहित आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु सं0 3–

विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को उ0ख0 शासन (चिकित्सा अनुभाग–1) के शासनादेश सं0 897/XXVIII (7)/2010–03/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2010 की तर्ज पर आउटसोर्स के स्थान पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों की समय समय पर मांग के दृष्टिगत संविदा के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव।

विनिश्चयः–

वित्त समिति द्वारा इस महत्तवपूर्ण मामले पर गहन विचार विमर्श/अध्ययन किया गया। वित्त समिति द्वारा इस कम में निर्णय लिया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.07.10 (चिकित्सा अनुभाग–1 उ0ख0 द्वारा जारी एवं छाया प्रति संलग्न) श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु पेरामेडिकल/एन्सीलियरी द्वितीय श्रेणी अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में है। अन्य विभागों हेतु इस शासनादेश में कोई उल्लेख नही है किन्तु वित्त समिति में सहमति बनी है कि विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय/परीक्षा विभाग/वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग में इन्ही आउट सोर्स कार्मिकों के माध्यम से समय समय पर सम्पादित हो रहे अति महत्तवपूर्ण/संवेदनशील मामलों के दृष्टिगत आउटसोर्स के स्थान पर वर्तमान में कार्यरत इन्ही कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर संगत नियमों की औपचारिकता पूर्ति करते हुये नियुक्त किया जाना अपरिहार्य है। इस क्रम में वित्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस विषय को शासन को सन्दर्भित करते हुये वित्त विभाग की भी अनुमति ली जायेगी।

दु सं0 4–

M/S MindloGicx Infratec Ltd. Banglor, द्वारा विश्वविद्यालय हेतु Integrated Examination Managent System स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वर्णित फर्म द्वारा इस योजना को IntelliEXAMS की संज्ञा दी गयी है। यह नवीन परीक्षा प्रणाली इस विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्य योजना के अध्ययन से विदित है कि यह परीक्षा प्रणाली अपनाये जाने पर परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यो में सुगमता, स्पष्टता, पारदर्शिता, एवं समय की बचत आदि विभिन्न सुविधायें उपलब्ध होगी। यह कार्य योजना विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध समस्त संस्थानों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं सम्बद्ध संस्थानों के चयनित निदेशकों/प्राचार्यो की प्रथम बैठक दिनांक 24.01.2011 को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर सम्पन्न हो चुकी है जिसके विनिश्चय की प्रति **परिशिष्ट 'क'** पर संलग्न है।

उक्त वर्णित/प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली लागू किये जाने पर विश्वविद्यालय को संस्थानों के माध्यम से रू0 30.00 प्रति छात्र, प्रति पेपर, प्रत्येक सेमेस्टर में आय (प्राप्ति) होगी। तद्नुसार छात्रों से प्राप्त धनराशि सेवादाता फर्म को विश्वविद्यालय के माध्यम से समय समय पर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधन से इस कार्य हेतु अनुमानतः रू0 3.35 करोड हार्डवेयर क्रय की विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

विनिश्चयः–

वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार प्रस्तावित नवीन परीक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन एवं विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की विभिन्न उपयोगिताओं के दृष्टिगत इस विश्वविद्यालय में भी लागू किये जाने पर भी सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन किया गया। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय द्वारा कय हेतु प्रस्तावित हार्डवेयर/अन्य संगत उपकरणों के क्रय से पूर्व उ0ख0 अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में वर्णित नियमों की औपचारिकता पूर्ति अवश्य की जायेगी।

बिन्दु सं0 5–

विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन दरों में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव।
वित्तीय वर्ष 2009–10 से लागू परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की दरों में व्यवहारिक दृष्टिकोण से समय समय पर उत्पन्न कठिनाईयों के दृष्टिगत संलग्न **परिशिष्ट 'ख'** अनुसार आंशिक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव।

विनिश्चयः–

इस क्रम में वित्त समिति द्वारा, प्रस्तावित आंशिक संशोधन का अध्ययन/विचार विमर्श, किया गया एवंम निम्नानुसार पुनरीक्षित दरें दिनांक 29.4.11 से लागू करने पर निर्णय लिया गयाः–

(क) परीक्षा संचालन हेतु लागू दर सूची कमांक 5 पर अंकित प्रायौगिक परीक्षक (परास्नातक का पारिश्रमिक) रू0 15.00 प्रति छात्र (रू0 न्यूनतम 500.00 के स्थान पर रू0 20.00 प्रति छात्र न्यूनतम रू0 500.00) आगे लागू होगी।

(ख) इसी प्रकार परीक्षा संचालन दर की अनुमोदित सूची के क्रमांक 19 पर M.Tech/ M.pharm. Dissertation Viva Exam मद में रू0 500.00 प्रतिदिन (केवल वाह्य परीक्षकों के लिए) के स्थान पर पुनरीक्षित दर रू0 20.00 प्रति छात्र (न्यूनतम रू0 1000 .00) निर्धारित की गई है।

(ग) परीक्षा मूल्यांकन दर की पूर्व अनुमोदित सूची के क्रमांक 12 पर मूल्यांकन कर्ताओं का सत्कार/लंच /चाय आदि की वर्तमान दर रू0 1.50 प्रति उत्तर पुस्तिका तथा प्रति विषय रू0 500.00 तक एवं रू0 85.00 प्रतिदिन लंच, चाय, स्नैक्स के स्थान पर पुनरीक्षित दर अधिकतम रू0 85.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गयी हैं।

बिन्दु सं0 6—

विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा जनपद मुख्यालय से बाहर समय समय पर दूरस्थ केन्द्रो पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने हेतु कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। परीक्षा केन्द्रों पर Fooding/lodging की कोई निशुल्क व्यवस्था नही होती है। राज्य सरकार के वर्तमान शासनादेशानुसार अन्य जिला मुख्यालयों पर रू0 120.00 प्रति दिन एवं शेष समस्त क्षेत्रों हेतु रू0 100.00 प्रति दिन श्रेणी अनुसार दैनिक भत्ता अनुमन्य है जो वर्तमान मंहगाई के दृष्टिगत नगण्न्य है। फलस्वरूप यू0टी0यू0 के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियो को अपनी जेब से Fooding/lodging पर व्यय करना पडता है। जबकि उ0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय में इन मदों हेतु रू0 500.00 प्रति दिन होटल में ठहरने का व्यय तथा दैनिक भत्ता अलग से निर्धारित है।

विनिश्चयः—

वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचार विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव में वर्णित आर्थिक कठिनाई के दृष्टिगत वित्त समिति में सहमति बनी है कि इस क्रम में यू0पी0टेक0 एवं अन्य विश्वविद्यालयों से इस प्रकृति की यात्राओं हेतु Fooding/lodging की निर्धारित वर्तमान दरें एकत्र की जायेगी तथा वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 एच0सी0 नैनवाल)
प्रति कुलपति,

(आर0सी0 शर्मा)
संयुक्त सचिव (वित्त),

(डॉ0 जी0एस0 रजवार)
उप–निदेशक (उच्च शिक्षा)

(चन्द्र सिंह मेहता)
कुलसचिव,

(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक,

(प्रो0 डी0एस0 चौहान)
कुलपति / अध्यक्ष